

प्रेषिका,

डॉ० अनामिका चौहान- 1  
अपर प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय सं० 03,  
वाराणसी।

सेवा में,

श्रीमान् महानिवन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय  
जनपद वाराणसी।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9691 / IV-F-82 (Pension) एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 16.07.2024 तथा पत्रांक संख्या 11768/ IV-F-82 (Pension) एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 31.08.2024 एवं शासनादेश संख्या 14/2024/सा0-3-243 दस-2024/301 (1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 अन्तर्गत पुरानी पेंशन चयन विकल्प पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थिनी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4. संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1) से हुई थी।

प्रार्थिनी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं० 972 DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 16.06.2006 को जनपद मथुरा में अपर सिविल जज (जू०डि०) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

प्रार्थिनी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003. दिनांकित 15 नवम्बर 2003, के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243 / दस-2024/301(1)2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्र है।


प्रार्थिनी द्वारा शासनादेश सं०-20/2024/सा0-3-276/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अपना विकल्प पत्र, प्रावरण पत्र (Covering Letter) के साथ संलग्न कर पूर्व में संस्तुति हेतु किया गया था तथा पत्रांक संख्या 11768/ IV-F-82 (Pension) एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 31.08.2024 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ पुनः संस्तुति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु विकल्प पत्र संस्तुति के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

दिनांक: 21.09.2024

Office of the Principal Judge  
Family Court Varanasi  
No. 154/XV Date 21-09-2024  
Forwarded  
Principal Judge  
Family Court Varanasi

भवदीया,

  
(डॉ० अनामिका चौहान-1)

अपर प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय सं० 03,  
वाराणसी

जे.ओ. फोड-6196

विकल्प-पत्र

1. नाम - डा0 अनामिका चौहान-।
2. वर्तमान पदनाम - अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
न्यायालय सं0 -3, वाराणसी।
3. वेतनमान - 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं0-A-2/E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26 मई 2006(उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4)  
संख्या-2430/दो-4- 06-32(1)/2001 टी.सी. 1
8. योगदान की तिथि - 16.06.2006
9. जन्मतिथि - 18.07.1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.07.2035

मैं डा0 अनामिका चौहान पुत्री श्री मौकम सिंह चौहान, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर

नाम डा0 अनामिका चौहान-।

पदनाम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय  
न्यायालय संख्या -3, वाराणसी  
जे.ओ. कोड - 6196

घोषणा-पत्र

मैं डा0 अनामिका चौहान-।, पदनाम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या-3, वाराणसी यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम डा0 अनामिका चौहान-।

पदनाम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय  
न्यायालय संख्या -3, वाराणसी  
जे.ओ. कोड - 6196

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री डा0 अनामिका चौहान-।, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या-3, वाराणसी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय  
वाराणसी